

सिंधु सर्किल मुक्तिधाम में श्रमदान करेगा

कोटा, (निसं)। सिन्धु सोशल सर्किल विगत कई वर्षों से विज्ञान नगर मुक्तिधाम का रख रखाव करता आ रहा है। इसी संदर्भ में सर्किल के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पार्षद सिंधु रमेश आहूजा के नेतृत्व में सर्किल के एक प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम कोटा दक्षिण को आयुक्त सरिता और नेता प्रतिपक्ष विवेक रावतवशी से मुलाकात की और उन्हें विज्ञान नगर मुक्ति धाम के रख रखाव

और साफ सफाई के संबंध में एक पत्र दिया। प्रतिनिधि मंडल में सर्किल अध्यक्ष कमल सपरा, सचिव राजेश ग्वालानी और पीडी विनोद अजवानी शामिल थे। दोनों ने प्रतिनिधि मंडल को उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। सांस्कृतिक सचिव किशन रतनानी ने बताया कि सर्किल सदस्य आगामी 14 जुलाई रविवार को विज्ञान नगर मुक्ति धाम में श्रमदान भी करेंगे।

'आर्गन डोनेशन से जीवन बच सकता है'

कोटा, (निसं)। मेडिकल कॉलेज कोटा की ओर से अंगदान जागरूकता को लेकर अलग-अलग स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के तहत कोचिंग स्टूडेंट्स को भी जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में मेडिकल कॉलेज कोटा की ओर से एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में अंगदान जागरूकता व्याख्यान आयोजित किया गया। यहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को अंगदान के बारे



कोटा में कोचिंग स्टूडेंट्स को अंगदान के महत्व के विषय पर जानकारी दी गई है।

■ अंगदान जागरूकता व्याख्यान में डॉ. नीलेश जैन एवं डॉ. विकास खंडेलिया ने कोचिंग स्टूडेंट्स को संबोधित किया

में जागरूक किया गया। व्याख्यान में मेडिकल कॉलेज के सुपरस्पेशलिटी यूनिट के अधीक्षक एवं यूरोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. नीलेश जैन तथा नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. विकास खंडेलिया ने अपनी बात कही। जवाहर नगर स्थित एलन समुनूत कैंम्पस में आयोजित व्याख्यान में डॉ. नीलेश जैन ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान में भारत का इतिहास बहुत पुराना है। अंगदान और अंग प्रत्यारोपण

के उदाहरण के रूप में भगवान गणेश से शुरुआत मानी जा सकती है। सुष्ठुत के रूप में भी भारतीय इतिहास सर्जी में विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है। इतना समृद्ध इतिहास होने के बावजूद आज हम अंगदान के क्षेत्र में दुनिया में सबसे पीछे वाले देशों में शामिल हैं। हमें जागरूकता के माध्यम से लोगों के जीवन को बचाने का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करना है। डॉ. विकास खंडेलिया ने प्रजेन्टेशन के माध्यम से

कहा कि जीवित तथा ब्रेन डेड दोनों तरह से अंगदान किए जा सकते हैं। मृत व्यक्ति के अंग यदि किसी के काम आते हैं तो वो मरने के बाद भी किसी के लिए जीवन देने का काम करता है। दुनिया में स्पेन में सर्वाधिक अंग दान होते हैं, वहीं भारत सबसे अंतिम देशों में शामिल है। देश में हर वर्ष 5 लाख व्यक्तिओं की मौत आर्गन फेल्योर के कारण होती है, वहीं डेढ़ लाख व्यक्तिओं की मौत

दुर्घटनाओं में होती है। यदि अंगदान होता है तो हजारों लोगों को नया जीवन दिया जा सकता है। डॉ. खंडेलिया ने कहा कि आप सभी स्टूडेंट्स एक संदेश वाहक के रूप में समाज से जुड़े हुए हैं। अपने मित्रों, परिवारों को इस बारे में बताएं। रक्तदान की तरह ही अंगदान करके किसी का जीवन बचाने के लिए आगे आएं। इस तरह के कार्यक्रम अब लगातार आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2685 जाहिर आम सूचना दिनांक 12.07.24
आवास संख्या 5-एन-28 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा सुभी शामिल वैन पुत्री श्री बसन्ती लाल केन को किया गया था। इस आवस का पंजीवन सुभी शामिल वैन पुत्री श्री बसन्ती लाल केन द्वारा दिनांक 28.12.1994 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीवन अवनत सुभी शामिल वैन पुत्री श्री बसन्ती लाल केन द्वारा एक आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 22.03.1995 को श्री श्यामली लाल पुत्र श्री जगन्नाथ कुमार को किया गया। श्री श्यामली लाल पुत्र श्री जगन्नाथ मोहा द्वारा इस आवस से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 15.07.2007 को मुख्यालय आम अंश्लिखित कर श्री सुन्दर लाल सिंघल पुत्र स्व. श्री सोताराम सिंघल कर अपने मुख्यालय नियुक्त किया गया। श्री सुन्दर लाल सिंघल पुत्र स्व. श्री सोताराम सिंघल मुख्यालय श्री श्यामली लाल पुत्र श्री जगन्नाथ मोहा द्वारा मुख्यालय धारक की हस्तिल से एक आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 06.01.2009 को श्री सुरेश कुमार धींगण पुत्र फैरुलाल को किया गया। श्री सुरेश कुमार धींगण पुत्र फैरुलाल द्वारा इस कार्यलय में अंश्लिखित प्रस्तुत कर आवस संख्या 5-एन-28 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा के विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवस के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवंटन किया गया है।
अतः इस आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सुरेश कुमार धींगण पुत्र फैरुलाल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यलय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सुरेश कुमार धींगण पुत्र फैरुलाल का नाम दर्ज किया जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री सुरेश कुमार धींगण पुत्र फैरुलाल का नाम दर्ज कर दिया जायेगा।
उप आवसान आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक-नॉनवेज/जोन-प्रधान/पत्रि.अनु./2024/4974 दिनांक: 21.7.24
उप विभाजन एवं स्थायिक हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञापित
सर्व साधारण को ज्ञापित किया जाता है कि श्रीमती काजी गेरा पत्नी स्व. श्री रामनाथगण गेरा निवासी इन्द्र विहार कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा द्वारा अपने आवस प्रकृत 3 मोटर फीसियर वक्सायन स्कॉम कोटा क्षेत्रफल 10920 वर्गफुट में से उभरी फीसियी भाग क्षेत्रफल 832.93 वर्गफुट, जिसकी पूर्ण दिशा में मकान नम्बर 3-सी, पहियम दिशा में मकान नम्बर 3-डीए, उत्तर दिशा में 40 फुट चौड़ा रोड तथा दक्षिण दिशा में मकान नम्बर 3-ई स्थित है का उपविभाजन स्वीकृत कर स्थायिक स्वयं के नाम हस्तांतरण कर का निवेदन किया है। प्रकृत संख्या 3 मोटर फीसियर वक्सायन स्कॉम कोटा क्षेत्रफल 10920 वर्गफुट का आवंटन कार्यलय पन्नी कमेटी कोटा द्वारा पत्र क्रमांक श्री सम्पल मल लोपा पुत्र श्री योगीपाम गौड़ा को किया गया। श्री सम्पल मल लोपा ने उक्त प्रकृत में उत्तर पहियम का भाग क्षेत्रफल 1600 वर्गफुट एवं दक्षिण पहियम दिनांक 03.07.1972 से श्री रामनाथगण गेरा जी नन्द किशोर पुत्र श्री कनकावी को विक्रय कर दिया। श्री नन्द किशोर गेरा का देवस्थान दिनांक 16.12.2015 को श्री श्री रामनाथगण गेरा का देवस्थान दिनांक 12.07.2016 को जो जगते के उपरान्त श्री नन्द किशोर गेरा के विधिक वारिसात श्री नकुल पुत्र पुत्र स्व. श्री नन्द किशोर गेरा एवं श्रीमती कनिका गेरा ठकुरार पुत्री स्व. श्री नन्द किशोर गेरा पत्नी श्री गौरव ठकुरार ने जर्न रिजस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 21.03.2017 से उक्त भाग में श्री नन्दकिशोर गेरा के अधिवासीय आणे भाग में से स्व. का हरक श्रीमती रानी गेरा पत्नी स्व. श्री नन्द किशोर गेरा के पक्ष में त्याग दिया है तथा श्री रामनाथगण गेरा के विधिक वारिसात श्री देवेंद्र पुत्र पुत्र स्व. श्री रामनाथगण गेरा एवं श्रीमती मधु निजामत पुत्र स्व. श्री रामनाथगण गेरा पत्नी श्री सुरेंद्र निजामत ने जर्न रिजस्टर्ड रिलीज डीड दिनांक 21.03.2017 से उक्त भाग में से श्री रामनाथगण गेरा के अधिवासीय आणे भाग में से स्व. का हरक श्रीमती कनका गेरा पत्नी स्व. श्री रामनाथगण गेरा के पक्ष में त्याग दिया है। श्रीमती रानी गेरा एवं श्रीमती कनका गेरा के मध्य निम्नालिखित रिजस्टर्ड रिकॉर्ड सम्पत्ती का बन्दराना नामा दिनांक 03.06.2023 से श्रीमती कनका गेरा को उक्त प्रकृत का अधिवासीय आणे पत्नी श्रीमती मधु निजामत 832.93 वर्गफुट भाग प्राप्त हुआ। अंश्लिखित द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त प्रकृत के अधिवासीय भाग का उपविभाजन स्वीकृत कर स्थायिक नाम हस्तांतरण कर का कार्यावाही का जारी है। उक्त प्रकृत के अधिवासी भाग का उपविभाजन स्वीकृत कर स्थायिक नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त मूक प्रकृत से संबंध रखना है। को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यलय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।
उपयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर विकास च्यास, कोटा

क्रमांक-671 नाम हस्तांतरण चाहने बाबत आम सूचना दिनांक-12.7.24
नगर विकास च्यास कोटा की चाणस्युरी आवासीय योजना के प्रकृत/आवास संख्या 83 का आवंटन/हस्तांतरण/रवि. न्यास के पत्र दिनांक 02.03.2009 को श्री विकास अम्बानी पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश अम्बानी को किया गया था। आवंटित श्री विकास अम्बानी पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश अम्बानी द्वारा उक्त प्रकृत/आवास का जर्न मुख्यालय श्री भगवानजी पुत्र श्री दुलाराम द्वारा जर्न रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2017 को श्रीमती हरीशमती कनका पत्नी श्री विक्रय कृपालानी को विक्रय कर दिया गया है। अतः क्रेता द्वारा उक्त प्रकृत/आवास का अपने नामहस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त प्रकृत/आवास संख्या 83 योजना चाणस्युरी आवासीय का नाम हस्तांतरण श्रीमती हर्षा कृपालानी पत्नी श्री विक्रय कृपालानी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।
उपसचिव नगर विकास च्यास, कोटा

कार्यालय नगर विकास च्यास, कोटा

क्रमांक-एफ/1/विभाग/2024/2150 दिनांक-12.07.24
नगर विकास च्यास कोटा द्वारा प्रकृत संख्या 64 प्रसन विहार आवासीय योजना में आवंटन दिनांक 09.01.2017 को श्री श्री प्रेमनारायण मालव पुत्र श्री विरभी लाल मालव के नाम से आवंटन किया गया था। आवंटित श्री प्रेमनारायण मालव की मृत्यु दिनांक 08.10.2023 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त के विधिक वारिसात श्री गणेश शंकर मालव पुत्र स्व. प्रेमनारायण मालव द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, रिजिब डीड, रायच पत्र, आई.डी. इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त प्रकृत अपने नामहस्तांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नामहस्तांतरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई ऐतराज हो तो विज्ञापित जारी होने के 7 दिवस के अन्दर-अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त प्रकृत संख्या 64 योजना प्रसन विहार आवासीय का नाम हस्तांतरण श्री गणेश शंकर मालव पुत्र स्व. प्रेमनारायण मालव के नाम जारी कर दिया जायेगा।
उपसचिव नगर विकास च्यास, कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2687 जाहिर आम सूचना दिनांक 12.07.24
आवास संख्या 62556 श्यामल विवेकानन्द नगर, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री विक्रम श्यामल पुत्री श्री नयसल मण्डल को किया गया था। इस आवस का पंजीवन श्री विक्रम श्यामल की मृत्यु दिनांक 28.10.1992 को एवं इन्हीं को प्रति श्रीमती वन इन्दर की मृत्यु दिनांक 16.09.1994 को जो जगते के पश्चात उक्त आवस का निम्नलिखित दिनांक 07.05.2001 को श्री उमेश चन्द सुरण के नाम किया गया। इस आवस का निम्नलिखित श्रीमती रंजिता कौर पत्नी श्री जवन्त सिंह के नाम दिनांक 30.06.2003 को किया गया। उक्त आवस का पंजीवन श्रीमती रंजिता कौर पत्नी श्री जवन्त सिंह के नाम दिनांक 21.02.2005 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीवन से पूर्व श्रीमती रंजिता कौर पत्नी श्री जवन्त सिंह द्वारा इस आवस से सम्बन्धित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 15.10.2004 को मुख्यालय आम अंश्लिखित कर श्री योगेश जैन पुत्र स्व.शान्ति लाल शंभक को अपना मुख्याय आम धारक नियुक्त किया गया। श्री योगेश जैन पुत्र स्व.शान्ति लाल शंभक मुख्यालय श्रीमती रंजिता कौर पत्नी श्री जवन्त सिंह द्वारा मुख्यालय धारक की हस्तिल से उक्त आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 06.09.2005 को श्री गिरिश कानन विस्तार पुत्र श्री मंगी लाल को किया गया। श्री गिरिश कानन विस्तार पुत्र श्री मंगी लाल द्वारा इस कार्यलय में अंश्लिखित प्रस्तुत कर आवस संख्या 82256 श्यामल विवेकानन्द नगर कोटा के विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवस के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवंटन किया गया है।
अतः इस आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बचक पत्र, रायच पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यलय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम कर दिया जायेगा।
उप आवसान आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2697 जाहिर आम सूचना दिनांक 12.07.24
आवास संख्या 6-बी-39 महावीर नगर उत्तरी कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री पी.पी.शर्मा को किया गया था। इस आवस का पंजीवन श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री पी.पी.शर्मा द्वारा दिनांक 28.03.2000 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री पी.पी.शर्मा की मृत्यु दिनांक 04.09.2022 को हो चुकी है। इन्हीं की मृत्यु उपरान्त इनके वारिसातों में श्री युश शर्मा एवं श्री शान्तिनी शर्मा विरसन हैं। श्री राकेश शर्मा उक्त आवस में निहित अपने अधिवासीय हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) अंश्लिखित कर दिनांक 01.06.2023 को श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के पक्ष में किया गया। श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा द्वारा इस कार्यलय में अंश्लिखित प्रस्तुत कर आवस संख्या 6-बी-39 महावीर नगर उत्तरी, कोटा को उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बचक पत्र, रायच पत्र, घोषणा पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः इस आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बचक पत्र, रायच पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यलय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी स्व. श्री राकेश शर्मा के नाम कर दिया जायेगा।
उप आवसान आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2666 जाहिर आम सूचना दिनांक 12.07.24
आवास संख्या 2-सी-13 महावीर नगर उत्तरी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री रामनारायण गुप्ता को किया गया था। इस आवस का निम्नलिखित श्री अनवर कुमार जोशी पुत्र श्री बहालाल जोशी की मृत्यु दिनांक 31.12.1994 को किया गया था। पंजीवन अवनत सुभी शामिल श्री अनवर कुमार जोशी पुत्र श्री बहालाल जोशी द्वारा दिनांक 06.04.1995 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीवन अवनत सुभी शामिल श्री अनवर कुमार जोशी पुत्र श्री बहालाल जोशी द्वारा उक्त आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 06.06.1995 की हस्तांतरण कर दिनांक 06.06.1995 की हस्तांतरण कर दिनांक 21.03.2001 को श्री अनवर कुमार जोशी पुत्र श्री सुन्दर चन्द केन को किया गया। श्री अनवर कुमार जैन पुत्र श्री सुन्दर चन्द केन का दिनांक 13.01.2012 को बन्दराना के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। देवस्थान श्री अशोक कुमार कौर पुत्र श्री सुन्दर चन्द केन द्वारा उक्त आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 04.05.2021 को श्रीमती कुशिका देवजा पत्नी दीनमूक अरोड़ा को किया गया। श्रीमती कुशिका देवजा पत्नी दीनमूक अरोड़ा का नाम दिनांक 14.12.2023 को विक्रय पत्र के आधार पर मण्डल अभिलेख में दर्ज किया गया। बैचन जारी श्रीमती कुशिका देवजा पत्नी दीनमूक अरोड़ा द्वारा उक्त आवस का बैचन जरिये विक्रय पत्र अंश्लिखित कर दिनांक 31.01.2024 को श्रीमती निरुपमा गौतम पत्नी श्री प्रमोद प्रमोद को किया गया। श्री नरस किशोर गौतम पुत्र श्री प्रमोद प्रमोद द्वारा इस कार्यलय में अंश्लिखित प्रस्तुत कर आवस संख्या 2-सी-13 महावीर नगर उत्तरी कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवस के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवंटन किया गया है।
अतः इस आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नरस किशोर गौतम पुत्र श्री प्रमोद गौतम का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यलय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नरस किशोर गौतम पुत्र श्री प्रमोद गौतम का नाम दर्ज किया जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस के मण्डल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री नरस किशोर गौतम पुत्र श्री प्रमोद गौतम का नाम दर्ज कर दिया जायेगा।
उप आवसान आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

अतिक्रमण हटाय़ा

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा उत्तर व के.डी.ए. के अतिक्रमण निरोधक दस्तौ एवं यातायात पुलिस से संयुक्त रूप से शुक्रवार को भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई और नयापुरा क्षेत्र के अतिक्रमण हटाकर कार्यवाही को अंजाम दिया। नगर निगम कोटा उत्तर के आयुक्त अनुराग भार्गव ने बताया कि नयापुरा क्षेत्र की अतिक्रमण मुक्त बनाने की कार्यवाही के तहत नयापुरा विवेकानंद चौराहा, नयापुरा बस स्टैंड व रिज्ट क्रेट गेट तथा रतन चौकरी से अग्रसेन चौराहा के के.एस.टी. क्रेट अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को पूर्ण किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यवाही के दौरान अतिक्रमियों द्वारा अवैध रूप से लगाए गए थड़ी व ठेला को हटाय़ा गया और उन्हे आगे से अतिक्रमण न करने की हिदायत भी दी गई। कोटा उत्तर निगम के आयुक्त भार्गव ने बताया कि कार्यवाही निगम उत्तर के पुलिस उपअधिकार व अतिक्रमण प्रभारी पी.एल.रंगर एवं के.डी.ए. के पुलिस उपअधिकार लोकेन्द्र पाविला एवं निगम उत्तर के सहायक अधियंत मीतलाल चौधरी, कनिष्ठ अधियंत अदीप हद्रसर्षिया एवं नारांबाजी की। लोको शाखा के उपाध्यक्ष मद्दलाल मीना ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं विरोध प्रदर्शन के बाद एक मिटिंग भी आयोजित की गई जिसमें नवनिर्वाचित मण्डल प्राधिकारी चेतन शर्मा, आर.सी.मीना व महेंद्र सिंह खिंची का स्वागत किया गया। इस बैठक को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के

कार्य के चलते कोटा होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन

कोटा, (निसं)। दक्षिण रेलवे द्वारा चैनई मण्डल के ताम्बरम् याई में रीमॉडलिंग कार्य हेतु तकनीकी कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु नॉन इन्टरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। जिस कारण कोटा मंडल होकर जाने वाली कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। गाड़ी संख्या 22632, बोकानेर-मदुर रेलसेवा जो दिनांक 21.07.24, 28.07.24, 04.08.24 व 11.08.24 को बोकानेर से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा निर्धारित मार्ग चैनई एमोर-ताम्बरम् के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया परम्बूर-अरक्कोपम-चेंगलपट्टु होकर संचालित होगी एवं परिवर्तित मार्ग में परम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 22631, मदुरै-बोकानेर रेलसेवा जो दिनांक 15.08.24 को मदुरै से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा निर्धारित मार्ग चैनई एमोर-ताम्बरम् के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया परम्बूर-अरक्कोपम-चेंगलपट्टु होकर संचालित होगी एवं परिवर्तित मार्ग में परम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 20482, तिरुच्चिरापल्लि-भगत की कोटी एक्सप्रेस रेलसेवा जो दिनांक 27.07.24, 03.08.24 व 10.08.24 को तिरुच्चिरापल्लि से प्रस्थान करेगी वह अपने निर्धारित मार्ग चैनई एमोर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग चेंगलपट्टु-अरक्कोपम-परम्बूर-गुडुर होकर संचालित होगी एवं परिवर्तित मार्ग में परम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 20482, तिरुच्चिरापल्लि-भगत की कोटी एक्सप्रेस रेलसेवा जो दिनांक 27.07.24, 03.08.24 व 10.08.24 को तिरुच्चिरापल्लि से प्रस्थान करेगी वह अपने निर्धारित मार्ग चैनई एमोर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया परम्बूर-अरक्कोपम-चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम होकर संचालित होगी एवं परिवर्तित मार्ग में परम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। गाड़ी संख्या 22673, भगत की कोटी-मन्नारागुडी रेलसेवा जो दिनांक 15.08.24 को भगत की कोटी से प्रस्थान करेगी वह रेलसेवा निर्धारित मार्ग चोर्नाई एमोर-ताम्बरम् के स्थान पर परिवर्तित मार्ग वाया परम्बूर-अरक्कोपम-चेंगलपट्टु-विल्लुपुरम होकर संचालित होगी एवं परिवर्तित मार्ग में परम्बूर स्टेशन पर ठहराव करेगी। इस संबंध में यात्रियों से अनुरोध है कि ट्रेन के मार्ग परिवर्तन की उचित स्थिति की जानकारी स्टेशन, एनर्डीएस, रेल मदर 139 एवं ऑनलाइन प्राप्त कर यात्रा करें।

नई पेंशन स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन

कोटा, (निसं)। कोटा लांबी में चलक एवं गाई न एकत्रित होकर एनपीएस के विरोध किया, एवं एनपीएस के खिलाफ जमकर नारांबाजी की। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ कोटा मण्डल के मण्डल सचिव अब्दुल खालिक ने बताया कि सभी रिंग कर्मचारियों ने एक्रात्रिटर प्रदर्शन किया एवं नारांबाजी की। लोको शाखा के उपाध्यक्ष मद्दलाल मीना ने कार्यक्रम का संचालन किया एवं विरोध प्रदर्शन के बाद एक मिटिंग भी आयोजित की गई जिसमें नवनिर्वाचित मण्डल प्राधिकारी चेतन शर्मा, आर.सी.मीना व महेंद्र सिंह खिंची का स्वागत किया गया। इस बैठक को वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ के



कोटा में रेलवे कर्मचारियों के द्वारा नई पेंशन स्कीम का विरोध किया जा रहा है।

जोनल अध्यक्ष सी.एम. उपाध्याय, मण्डल अध्यक्ष एस.के. गुप्ता व मण्डल सचिव अब्दुल खालिक ने संबोधित किया एवं एनपीएस के विरोध में एकजुट होकर रहने की अपील की। कार्यक्रम में वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे

मजदूर संघ के जोनल अध्यक्ष सी.एम. उपाध्याय सहित मण्डल अध्यक्ष एस.के. गुप्ता, मण्डल सचिव अब्दुल खालिक, आर.सी. मीना, चेतन शर्मा, महेंद्र सिंह खिंची, डी.के.शर्मा, रविन्द्र शर्मा, मद्दलाल मीना, मुकेश शुक्ला, अमरनाथ पाण्डे, चेतनम घोडंडा, नीरज यादव, सचिन चौधरी, बनवारी लाल नौराव, प्रेम शंकर सैनी, भरत नागर, विजेन्द्र कुमार, दीपक शर्मा, सुबोध जैन, उमेश नागर, मोरध्वज मीना, छुट्टनलाल मीना, हरिओम, मिलेश जैन समेत कई मजदूर संघ के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जिला कलेक्टर ने बैटक चोरी के तीन आरोपी गिरफ्तार

बूंदी (निसं)। प्रधानमंत्री द्वारा 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया है। इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने प्रदेशभर में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री के अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके तहत मानसून के दौरान

रावतभाटा, (निसं)। कस्बा बेंगू में दो माह पूर्व एक मोबाइल शॉप के शटर के ताले तोड़ 10 मोबाइल व 1 लाख से अधिक नगद राशि चुरा ले जाने का खुलासा करते हुए बेंगू थाना पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चोरी का माल बरामद करने व अन्य चोरियों का पता लगाने के लिए आरोपियों को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 मई को कस्बा बेंगू के मिस्त्री मार्केट चितौडगढ़ रोड पर टाईगर धाकड़ की यश कम्प्युनिक्शन मोबा ल शॉप से अज्ञात बदमाश शटर का ताला तोड़कर दुकान के अन्दर से 10 मोबाइल एवं 1 लाख 7 हजार रुपये चुराकर ले जाने के

कोटा-मडगांव से चंडीगढ़ वन वे स्पेशल ट्रेन के संचालन

कोटा, (निसं)। अतिरिक्त यात्री भार को क्लीयर करने के उद्देश्य से कोटा होकर मडगांव (गोवा) से चंडीगढ़ वन वे स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। गाड़ी संख्या 02449 मडगांव-चंडीगढ़ वन वे स्पेशल शुरूवार, 12 जुलाई को सुबह 09.40 बजे आगमन कर शनिवार सुबह 08.10 बजे आगमन कर शनिवार 18.25 बजे चंडीगढ़ को पहुंचेगी। विभिन्न श्रेणी के कुल 22 एलएचवी कोच होंगे। यह गाड़ी राठौं में करमाली, वसिष्ठ, परेतेम, रत्नागिरी, रोता, पनवेल, शीव रोड, सुरत, बड़ोदरा, रतलाम, कोटा, हजरत निजादुद्दीन, नई दिल्ली, पानीपत एवं अम्बाला स्टेशनों पर रुकेगी।

अभियान के तहत वृक्षारोपण

कोटा, (निसं)। हितकारी सहकारी प्राचार्य डॉ.मधु कुमार भारद्वाज ने महिला शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य वृक्षारोपण कार्यक्रम की महत्ता पर एवं सहायक आचार्यों व प्रकाश डालते हुए कहा कि "एक वृक्ष छात्राध्यिकाओं द्वारा महाविद्यालय प्राणण और हनुमान मंदिर धाकड़खेड़ी में वृक्षारोपण किया गया एक विद्यार्थी एक पेड़ कार्यक्रम के तहत मीना, बादाम, आम, लकड़ी प्रत्येक भाग के गुणों को बताते हुये वृक्ष लगाने पर बल दिया तथा गूलमोहर, अमलताश, अमरुद, गाय, शुद्ध हवा और पर्यावरण संरक्षण के लिए पारिजात, आदि वृक्ष लगाये गये। वृक्षों की उपयोगिता बताई।

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2703 जाहिर आम सूचना दिनांक -12.7.24
आवास संख्या 3-सी-35 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री प्रभाकर शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन शर्मा को किया गया था। इस आवस का पंजीवन श्री प्रभाकर शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन शर्मा द्वारा दिनांक 29.09.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री प्रभाकर शर्मा पुत्र श्री देवकीनन्दन शर्मा की मृत्यु दिनांक 07.06.2002 को हो चुकी है। इन्हीं की मृत्यु उपरान्त इनके वारिसातों में श्रीमती गोधा शर्मा पत्नी स्व. श्री प्रभाकर शर्मा एवं श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा द्वारा उक्त आवस में निहित अपने अधिवासीय हिस्से का त्याग जरिये हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) अंश्लिखित कर दिनांक 08.04.2024 को श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा के पक्ष में किया गया। श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा द्वारा इस कार्यलय में अंश्लिखित प्रस्तुत कर आवस संख्या 3-सी-35 दादाबाड़ी विस्तार योजना कोटा को उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बचक पत्र, रायच पत्र, घोषणा पत्र, एवं मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।
अतः उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बचक पत्र, रायच पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं हक त्याग पत्र (रिलीज डीड) के आधार पर श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा के नाम करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यलय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा के नाम करने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवस का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन श्री रजिकान्त शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभाकर शर्मा के नाम कर दिया जायेगा।
उप आवसान आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक 2677 जाहिर आम सूचना दिनांक -12.7.24
आवास संख्या 8-सी-35 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्री दीन दत्त बंसल पुत्र श्री राम श्याम बंसल को किया गया था। इस आवस का निम्नलिखित श्री आर.एस. लाल पुत्र श्री लाल लाल द्वारा दिनांक 29.03.1998 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री रामचन्द्र लाल पुत्र श्री लाल लाल की मृत्यु दिनांक 02.02.2018 को हो चुकी है। इन्